

कार्यालय : अंचल अधिकारी, चौपारण (हजारीबाग)

आवेदक रामअधीन साव
पिता विशुन साव,
सा0-महुदी

विविध वाद संख्या05/24-25

दिनांक	आदेश पत्रक	अभ्युक्ति
01.07.2024	आवेदक रामअधीन साव पिता स्व0 विशुन साव, ग्राम-महुदी द्वारा आवेदन प्राप्त हैं कि मौजा महुदी थाना सं0-57 अंतर्गत खाता सं0-24 रकबा 8.78 ए0 भूमि की जमाबंदी जानकी तेली पिता भातु तेली के नाम से चालु पंजी 2 के पृष्ठ सं0-39/1 पर कायम हैं। ऑनलाइन लगान रसीद निर्गमन के क्रम में ज्ञात हुआ कि उक्त जमाबंदी ऑनलाइन चालु पंजी 2 के पृष्ठ सं0 31/1 पर कायम हो गया हैं व एक अन्य रैयत नारायण सिंह का नाम एवं खाता सं0-18 रकबा 5.06 ए0 जमाबंदी चालु पंजी 2 के पृष्ठ सं0 31/1 पर प्रदर्शित हो रहा हैं। जिसे सुधार हेतु अनुरोध किया गया हैं। प्राप्त आवेदन के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 22.07.24 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, चौपारण	
22.07.2024	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक का अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। पुनः जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 22.08.24 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, चौपारण	
22.08.2024	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक का अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। पुनः जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 12.09.24 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, चौपारण	
12.09.2024	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक का अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। कार्य व्यस्तता के कारण अभिलेख दिनांक 15.10.24 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, चौपारण	
15.10.2024	अभिलेख उपस्थापित। कार्य व्यस्तता के कारण अभिलेख दिनांक 16.11.24 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, चौपारण	

संक्र

आदेश पत्रक

1-2024

अभिलेख उपस्थापित, राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि -

(1) मौजा महुदी थाना सं०-57 अंतर्गत खाता सं०-24 रकबा 8.78 ए० भूमि की जमाबंदी चालु पंजी 2 के पृष्ठ सं०-39/1 पर जानकी तेली पिता भातु साव, सा०-महुदी के नाम से कायम है।

(2) मौजा महुदी थाना सं०-57 अंतर्गत खाता सं०-18 रकबा 5.06 ए० भूमि की जमाबंदी चालु पंजी 2 के पृष्ठ सं०-31/1 पर नारायण सिंह के नाम से कायम है।

चूँकि क्रमांक सं०-(1) में अंकित जमाबंदी ऑनलाइन चालु पंजी 2 के पृष्ठ सं० 31/1 पर कायम हो गया है। अतएव इसे पृष्ठ सं०-31/1 से हटाकर 39/1 पर कायम करने की अनुशंसा की जाती है। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 18.12.24 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
चौपारण

19-12-2024

अभिलेख उपस्थापित, द्वितीय पक्ष अनुपस्थित, पुनः नोटिस निर्गत करें, अभिलेख दिनांक 30.12.24 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
चौपारण

30-12-2024

अभिलेख उपस्थापित, द्वितीय पक्ष अनुपस्थित, पुनः नोटिस निर्गत करें, अभिलेख दिनांक 07.01.25 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
चौपारण

07-01-2025

अभिलेख उपस्थापित, द्वितीय पक्ष अनुपस्थित, पुनः नोटिस निर्गत करें, अभिलेख दिनांक 25.01.25 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
चौपारण

25-01-2025

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त, उभय पक्ष मूल राजस्व दस्तावेज के साथ उपस्थित। दोनों पक्षों के द्वारा जमाबंदी के संबंध में खतियान, रसीद व मुखिया द्वारा सत्यापित वंशावली प्रस्तुत किया गया। अभिलेख दिनांक 04.2.25 को आदेश हेतु उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
चौपारण

31.0015

अभिलेख उपस्थापित।

उभय पक्षों द्वारा जमाबंदी के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज खतियान एवं रसीद, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन, पंजी 2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दोनों उभय पक्षों की जमाबंदी अलग-अलग पृष्ठ पर कायम हैं एवं संभवतः पृष्ठांकन की भाषा में अंतर होने के कारण पृष्ठ सं०-39/1 पर दर्ज होने वाली जमाबंदी, ऑनलाइन पंजी 2 के पृष्ठ सं०-31/1 पर कायम हो गई है।

अतः मौजा महुदी थाना सं०-57 अंतर्गत खाता सं०-24 रकबा 8.78 ए० भूमि की जमाबंदी चालु पंजी 2 के पृष्ठ सं०-31/1 से हटाकर यह जमाबंदी 39/1 पर कायम करने की ~~रकबा~~ दी जाती है व अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धित।

अंचल अधिकारी
चौपारण

अंचल अधिकारी
चौपारण